KRISHI VIGYAN KENDRA, DAUSA
Directorate of Extension Education
(Sri Karan Narendra Agriculture University)
e-mail:kvkdausa@gmail.com
pc.kvk.dausa@sknau.ac.in
Senior Scientist & Head

क्रमांक. एफ भण्डार /के.वी.के./दौसा/2026–27/79 दिनांक : 21.05.2026

खुली निविदा सूचना

कृषि विज्ञान केन्द्र दौसा के वर्ष 2026–27 में अकुशल श्रमिक आपूर्ति के लिए इच्छुक फर्मो/सेवा प्रदाता संस्थाओं जिनके पास PAN, GST, श्रमिक आपूर्ति लाइसेन्स हो से दिनांक 29.05.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक निर्धारित निविदा प्रपत्र में बन्द लिफाफे में खुली निविदा प्रक्रिया के तहत तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफे में आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि (रू)	2% धरोहर राशि (रू)
1	केन्द्र पर कृषि कार्य हेतु अकुशल श्रमिक आपूर्ति	6,00,000/–	12,000/–

प्राप्त निविदाऐं उसी दिन दोपहर 1.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष केन्द्र की कमेटी द्वारा खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र कार्यालय से 500/– रू. का Demand Draft या नगद राशि देकर प्राप्त किया जा सकता है या विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.sknau.ac.in या sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल से डाउनलोड करके 500 रू. का डी डी सलंग्न कर सकते है। निविदाऐं निर्धारित निविदा प्रपत्र मे ही देनी होगी एवं 2% धरोहर राशि का डी.डी Senior Scientist & Head KVK Dausa के नाम से संलग्न करना होगा । निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

Blyat

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Dausa

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, प्रसार शिक्षा निदेशालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर निवेदन है कि इस खुली निविदा हेतु दिनांक 29.05.2026 को आपका प्रतिनिधि नियुक्त करने का श्रम करें ।
2. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर निवेदन है कि इस खुली निविदा हेतु दिनांक 29.05.2026 को आपका प्रतिनिधि नियुक्त करने का श्रम करें ।
3. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
4. संयोजक/सदस्य, निविदा समिति, कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा।
5. लेखा शाखा, कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा।
6. नोटिस बोर्ड, कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा।

Blyat

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Dausa

कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

निविदा प्रपत्र

1. ..... के लिए निविदा (कार्य का नाम जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की है)
2. निविदा प्रस्तुत करनें वाले का नाम व पता.....
   .....
   .....
3. मोबाईल नंबर ..... ई मेल .....
4. नाम व पता जिसको निविदा प्रस्तुत की गयी है : वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र दौसा।
5. सन्दर्भ : .....
6. हम निविदा सूचना संख्या.....दिनांक.....की सभी शर्तों से सहमत है एवं साथ ही निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सीट की सभी शर्तें मंजूर है, हमारी स्वीकृति के लिए सभी पृष्ठों पर हमनें हस्ताक्षर कर दिये है।
7. निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि 500/– डीमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या/रसीद संख्या .... दिनांक ..... वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा के पक्ष में संलग्न है या कार्यालय में जमा करा दिया है।
8. धरोहर राशि 12,000/– डीमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या ..... दिनांक ..... वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा के पक्ष में संलग्न है।
9. निविदादाता का घोषणा पत्र संलग्न है।
10. जी.एस.टी. नम्बर की छाया प्रति संलग्न है।
11. शर्तों पर सहमति हेतु हस्ताक्षर मय सील।
12. निविदादाता के पास श्रमिक आपूर्ति का केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र ई एस आई व ई पी एफ पंजीकरण, पैन कार्ड संलग्न है।
13. अनुभव प्रमाण पत्र, औसत टर्न ओवर प्रमाण पत्र तथा ब्लैक लिस्टेड न होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।
14. समस्त दस्तावेज तकनीकी बिड (लिफाफा न. 1) में संलग्न है तथा वित्तीय बिड लिफाफा नं. 2 में संलग्न है और दोनों लिफाफे एक सीलबन्द लिफाफे में बन्द है। तकनीकी बिड में सफल होने पर ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।

नोटः– निविदा के साथ दिए हुए सारे प्रपत्र निविदा फार्म के साथ भरकर संलग्न करें।

(हस्ताक्षर निविदादाता)

Byar
Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Dausa

(लिफाफा नं. 1 में रखे)

कृषि विज्ञान केन्द्र दौसा
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविधालय, जोबनेर)
अकुशल कृषि श्रमिक आपूर्ति
तकनीकी निविदा प्रपत्र

निविदाताफर्म का नाम व पता मय दूरभाष :– .....

1. जी.एस.टी. नं. (छाया प्रति संलग्न करे)
2. आवश्यकतानुसार श्रमिक सप्लाई करना होगा।
3. शर्तो पर सहमति हेतु हस्ताक्षर मय सील।
4. निविदादाता के पास श्रमिक आपूर्ति का केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
5. सफल निविदादाता को रूपये 500/– के नान ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध पत्र करना होगा।
6. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।
7. निविदा सीलबंद लिफाफे में बन्द कर जमा की जावेगी, तथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में स्वीकार किया जावेगा।
8. श्रमिको को कृषि कार्य हेतु जैसे निराई/गुडाई/कटाई/सिंचाई/दवाईयों का छिडकाव/थ्रेसिंग कार्य/नर्सरी/निगरानी आदि कार्य हेतु लगाया जा सकता है।
9. बिल का भुगतान माह पूरा होने के पश्चात कोष कार्यालय जोबनेर के पास होने के बाद किया जावेगा।
10. किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र दौसा रहेगा।
11. Registration of Labour Department (Photo Copy)
12. Registration of GST, ESI & EPF (Photo Copy)
13. PAN No ---------- (Photo Copy)
14. तकनीकी बिड (लिफाफा नं. 1) पूर्ण होने पर ही निविदादाता का लिफाफा नं. 2 वित्तीय बिड खोला जावेगा।

Byar
Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Dausa

(लिफाफा नं. 1 में रखे)

कृषि विज्ञान केन्द्र दौसा
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविधालय, जोबनेर)

निविदा प्रपत्र

इस केन्द्र के फार्म पर विभिन्न कार्यो के लिए अकुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा।

क्र.सं.	कार्य का विवरण
1	योजना का नामः– कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा के परिसर पर अकुशल कृषि श्रमिक
2	बजट मद :– के. वी. के. दौसा
3	कार्य की अनुमानित अवधि :– 01.06.2026 से 31.05.2027
4	निविदा संदर्भ :– फार्म पर विभिन्न कार्यो के लिए अकुशल कृषि श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा।
5	निविदा प्रपत्र :– एक
6	निविदा प्राप्त करने का समय व दिनांक :– कार्यालय कार्य दिवस में सुबह 10.00 बजे सायं 5.00 बजे तक
7	निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि 29.05.2026 दोपहर 12.00 बजे तक
8	निविदा खोलने की तिथि 29.05.2026 दोपहर 1.00 बजे
9	निविदा खोलने का स्थान कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा
10	पत्र व्यवहार हेतु पता कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा
11	फर्म द्वारा घोषणा कि फर्म काली सूची में नही है।
12	दरे प्रपत्र–2 में दर्शाई गई तालिका में लिफाफा नं. 2 वित्तीय निविदा में देनी है।

वर्ष 2026–27 में विभिन्न कृषि कार्यो हेतु अकुशल कृषि श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा।

1. बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार दिया जावेगा। संलग्न लिफाफा नं. 1 में रखे।

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970				ऐच्छिक
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर जी.एस.टी.				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7	फर्म का पूर्ण पता मय दूरभाष व ई मैल				

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर

Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Dausa

(लिफाफा नं. 2 में रखे)

कृषि विज्ञान केन्द्र दौसा
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविधालय, जोबनेर)

वित्तीय निविदा प्रपत्र

अकुशल कृषि श्रमिक आपूर्ति के उपापन के लिए निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र मे प्रस्तुत की जायेगी

क्र.सं.	कार्य की प्रकृति	श्रमिको को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नही होगी मय संख्या		सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत 13% या (राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित)	ESI दर प्रतिशत 3.25% या (राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
		कार्य हेतु आवश्यक मानक के साधन की अनुमानित संख्या	न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अकुशल कृषि श्रमिक	अकुशल कृषि श्रमिक	285.00		37.05	9.26		

ESI दर यदि दौसा में देय है तो उपापन संस्था द्वारा दिया जायेगा।
NOTE : GST दर नियमानुसार पृथक से देय होगी।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर

Byat
Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Dausa

(लिफाफा नं. 1 में रखे)

निविदा की शर्ते :–

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रिय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानो की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
2. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 अथवा अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन, कर्मचारी भविष्य अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग हेतु अर्हत होगे। पंजीकृत प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
3. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिको को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिको के बैंक खातो में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिको के बैंक खातो में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
4. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार कृषि श्रमिको को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
5. श्रमिको को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी में श्रम विभाग कर अधिसूचना से समय–समय पर वृद्वि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
6. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरो के अनुसार अपने समस्त श्रमिको का नियमानुसार ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा। जिसमें श्रमिको की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिको के ई. पी.एफ और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जा सकेगा।
7. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिको हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नही करने की शिकायत करने सम्बन्धि प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
8. राज्य में लागू श्रम नियमो के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिको को नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
9. संवेदक द्वारा श्रमिको के देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये एवं वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नही किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नही किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वो के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
10. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदका का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं दिशा–निर्देशो आदि की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामो/दायित्वो के लिए संवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा।
11. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Dausa

1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन कराने के लिए उत्तदायी होगा।

12. नियोजित श्रमिको को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औधोगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानो के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिको को हटाने कार्यमुक्त करने नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
13. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य संबंध/संदर्भ में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.आई. एस. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
14. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नही किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही होगी।
15. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त राशि न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नही करते हुए इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए सकद किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृत प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
16. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रषित की जायेगी।
17. प्रस्तावित निविदा फार्म मुहरबंद में प्रभारी अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र दौसा को लिफाफे के ऊपर निविदा "कार्य अनुबन्ध" लिखकर प्रस्तुत करना होगा। निविदा फार्म निविदा की दरो में किसी भी प्रकार की कांट–छांट स्वीकृत नही की जायेगी।
18. निविदादाता (ठेकेदार) निविदा फार्म प्रस्तुत करने से पूर्व समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक अध्ययन करे एवं समस्त पृष्ठो पर हस्ताक्षर करे । इस कार्य की अनुमानित लागत 6.0 लाख रूपये है।
19. निविदादाता के पास श्रमिक आपूर्ति का लाईसेंस होना आवश्यक है जो निविदा फार्म के साथ प्रस्तुत करना होगा बिना लाईसेंस के निविदा स्वीकार नही की जावेगी।
20. निविदादाता को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक श्रमिको का भुगतान करना होगा चाहे बिलो का भुगतान प्राप्त किया हो या नही। ठेके अधीन कार्यरत कृषि श्रमिको को राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम दरो (वेतन) से कम भुगतान नही करना होगा।
21. अनुबन्ध की अवधि आदेश की तारीख से 31.05.2027 तक के लिए मान्य होगी जिसे आपसी सहमति से तीन माह तक के लिए बढाया जा सकता है। ।
22. किसी भी नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु) व 55 साल से ज्यादा आयु एवं कार्य करनें में असक्षम व्यक्ति को कार्य पर नही लगाया जायेगा।
23. निविदादाता द्वारा लगाये गये कृषि श्रमिको को सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के दिशा निर्देशो के अनुसार कार्य सम्पादित करना होगा। कृषि श्रमिको का व्यवहार एवं कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर तुरंत प्रभाव से हटाना होगा।
24. निविदादाता को अपना आई.डी. प्रूफ व मोबाईल नम्बर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
25. विभिन्न कार्यो को उनकी प्राथमिकता के अनुसार फार्म ईन्चार्ज/फार्म मैनेजर या प्रभारी अधिकारी द्वारा मनोनीत व्यक्ति तय करेगें और उसी आधार पर ठेकेदार द्वारा कृषि श्रमिक उपलब्ध करा कर कार्य का निष्पादन कराया जायेगा। ठेकेदार को रात्री में फसलो की सिचाई व अन्य कार्य जैसे निगरानी आदि केवल पुरूष कृषि श्रमिको से ही करवाना होगा।
26. निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को कार्यालय समय में कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा में उपस्थित रहना होगा। कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा में प्रतिदिन चाहने वाले श्रमिको की संख्या व दिनांक कृषि विज्ञान

Byar
Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Dausa

केन्द्र दौसा के सम्बधित व्यक्तियो द्वारा फार्म पर उपलब्ध रजिस्टर में दर्ज कार्य अनुसार निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होने व रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर व दिनांक अंकित करने होगे।

27. भुगतान केवल किये गये कार्य का ही किया जायेगा तथा किसी भी कार्य के लिए कोई अग्रिम राशि नही दी जायेगी। कार्य की आवश्यकता को मध्येनजर रखते हुए कार्य की समय अवधि घटाई या बढाई जा सकती है।
28. यदि निविदादाता (ठेकेदार) द्वारा समय पर कृषि श्रमिक उपलब्ध नही कराये गये तो कार्य की आवश्यकता को देखते हुए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उस कार्य को अपने स्तर पर ठेकेदार की दर से दो गुणा तक श्रमिक लगा कर पूर्ण कार्य करा लेगें जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा वहन करनी होगी। समय पर कार्य सम्पादन न कराने, श्रमिक उपलब्ध न कराने व निविदा शर्तो को न मानने पर ठेकेदार को भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा।
29. यदि निविदादाता अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोडता है तो उसके द्वारा जमा अमानत राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
30. निविदादाता को यथासंभव पूर्व में ही कार्य हेतु दिन व समय बता दिया जायेगा फिर भी दिन व समय प्रकृति पर निर्भर करेगा जिसके लिए निविदादाता को तुरंत श्रमिको की व्यवस्था करनी होगी। निविदादाता द्वारा समय पर कार्य नही किये जाने स्थिति में जो भी हानि होगी वह निविदादाता को वहन करनी होगी। निविदादाता यदि कृषि, प्रायोगिक कार्य, चौकीदार आदि कार्यो की महत्ता एवं गुणवत्तानुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है या कार्य अधूरा छोडता है तो कृषि विज्ञान केन्द्र दौसा उन शेष कार्यो को अपनी जिम्मदारी से पूर्ण करायेंगे जिसका भुगतान निविदादाता को वहन करना होगा। इस प्रकार की प्रवृत्ति की यदि 3 बार पुनरावृत्ति होती है तो कृषि विज्ञान केन्द्र दौसा को निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा व ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा।
31. सफल निविदादाता को उपरोक्त सभी शर्तो की पूर्ण पालना करने संबंधी एक अनुबंध पत्र 500/– रूपये का नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर ठेकेदार द्वारा भरना अनिवार्य होगा।
32. निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कृषि विज्ञान केन्द्र दौसा को होगा।

उक्त निविदा की शर्तो को मैने भली भॉति पढ लिया है और समझ लिया है मैं इनसे सहमत हूँ और इनका पालन करूगां।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर

Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Dausa

कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा

कृषि श्रमिक के कृषि कार्यों का विवरण व शर्तें:

1. कृषि श्रमिक का कार्य कार्यालय भवन, दो किसान घर, बीज गोदाम, गैराज, क्वार्टर्स, फार्म, बकरी पालन इकाई, कार्यालय का पूरा केम्पस, कुएँ पर स्थित मोटर इत्यादि, समस्त की निगरानी करनी होगी।
2. कृषि श्रमिक का कार्य ठेके पर है। जिसकी दर प्रतिदिन की देनी होगी। कृषि श्रमिक का कार्य आवश्यकतानुसार करवाया जायेगा। पूरे माह व वर्ष की बाध्यता नहीं होगी। दर 31.05.2027 तक के लिए मान्य होगी।
3. भुगतान बिल प्रस्तुत करने के पश्चात कोष कार्यालय से पारित होने पर कर दिया जावेगा, नियमानुसार TDS काटा जावेगा। पार्टी द्वारा बीच में ठेका छोड़ने पर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
4. नर्सरी एवं कृषि कार्य जिसमें नर्सरी में पौधों में पानी देना, थैलियों में पौधे लगाना व पेड़ लगाने हेतु थांवला बनाना, पेड़ लगाना, पौधों की कांट छांट करना, निराई गुडाई करना, बकरी अथवा अन्य पशुओं की देखभाल करना इत्यादि कार्य होंगे।
5. नर्सरी एवं कृषि कार्य की दर प्रतिदिन की देनी होगी। पारिश्रमिक का भुगतान बिल प्रस्तुत करनें के पश्चात किया जावेगा। कार्य आवश्यकतानुसार करवाया जावेगा। पूरे माह व पूरे वर्ष कार्य करवाने की बाध्यता नही होगी। दरें 31.05.2027 तक मान्य होगी।
6. उपरोक्त कार्यों का कार्यालय से अनुबन्ध कराना होगा। कार्य स्वयं की जौखिम पर करना होगा। किसी प्रकार जौखिम या दुर्घटना के लिये के.वी.के. दौसा उत्तरदायी नही होगा।
7. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति के लिये ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी, जिसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।

उपरोक्त सभी शर्तें हमें मान्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Dausa

कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा

निविदा की नियम व शर्तें :–

1. लिफाफा नं. 1 में वित्तीय बिड के अतिरिक्त अन्य सभी दस्तावेज संलग्न करें ।
2. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही भरनी होगी। निविदा के साथ 2 प्रतिशत धरोहर राशि आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। इसके अभाव में निविदा स्वीकार नही की जावेगी।
3. निविदा के साथ **TAN, PAN, GST** नम्बर आयकर/बिक्री कर क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।
4. निविदाऐं निर्धारित प्रपत्र में बन्द लिफाफे में जिस पर अकुशल श्रमिक आपूर्ति / भोजन सप्लाई के लिए निविदा लिखा हो प्रस्तुत करनी होगी।
5. निविदा मे कांट छांट नही होनी चाहिए। निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिए।
6. निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि लौटायी नहीं जावेगी।
7. धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
8. जमानत राशि 5% Demand Draft से जमा करानी होगी। जिसमें 2% धरोहर राशि समायोजित कर ली जावेगी। जमानत राशि सामान सप्लाई/कार्य समाप्ति के पश्चात् लोटा दी जावेगी। जमानत राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।
9. निविदा के अनुसार सामान न देने व कार्य न करने/कार्य बीच में छोड़ने की स्थिति में जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
10. सामान की आपूर्ति/कार्य निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों की शर्तों के अनुसार करना होगा।
11. सामान की आपूर्ति/कार्य निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र जिसकें लिए निविदा प्रस्तुत की गयी है की शर्तों के अनुसार करने हेतु निविदादाता को 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
12. किसी भी प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र दौसा होगा।
13. न्यूनतम निविदा पर जिसे कमेटी उचित न समझे कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
14. निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र दौसा को होगा।
15. निविदा सूचना में प्रकाशित शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम–68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की शर्तें निविदा का भाग मानी जाएगी।
16. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल की जाएगी।
17. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सामग्री प्रदाय करने मे असफल रहने पर अथवा आपूर्ति/कार्य संतोषजनक नहीं करने पर वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आपूर्ति अन्य फर्म से करा सकेंगे। इसके साथ ही कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जब्त की जा सकेगी।
18. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें निविदा सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम–68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार लागू होगी।
19. तकनीकी योग्यता नहीं रखने वाली फर्मो की वित्तीय निविदा किसी भी परिस्थिति में नहीं खोली जाएगी। तकनीकी योग्यता रखने वाली फर्मो द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय की तकनीकी समिति द्वारा किया जा सकता है। निरीक्षण की स्थिति में यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो उस फर्म की तकनीकी निविदा को रद्द किया जा सकेगा तथा बोली प्रतिभूति (Bid security) जब्त की जा सकेगी।
20. बोली प्रतिभूति (Bid security) राजस्थान की लघु उद्योग इकाइयों से प्रदाय के लिए प्रस्तावित मात्रा के मूल्य की 0.5 प्रतिशत और कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) आदेशित मात्रा के मूल्य की 1 प्रतिशत ली जाएगी अतः यदि फर्म लघु उद्योग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत है तो फर्म को तकनीकी निविदा के साथ वे उन सामानों के

Byas
Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Dausa

संबंध में, जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी किए गए लघु उद्योग इकाइयों के पंजीयन हेतु प्रचलित नियमों के अनुसार दस्तावेज/प्रमाण एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के अनुसार दस्तावेज पत्र प्रस्तुत करने होंगे। **निर्धारित संलग्न प्रारूप (प्रपत्र 'य') में शपथ पत्र भी संलग्न करना है।**

21. राजस्थान के बाहर की फर्मो तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मो, जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी संशोधित नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान (Price preference) की हकदार नही है, द्वारा निविदत्त दरों की तुलना करने में, राजस्थान ब्रिक्री कर/वैट की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केन्द्रीय ब्रिक्री कर को इसमें शामिल किया जाएगा। अर्थात् **स्थानीय व बाहरी फर्मो द्वारा प्रस्तुत दरों की तुलना में, स्थानीय फर्म की दर से बिक्री कर/वैट को पृथक किया जाएगा जबकि बाहरी फर्म द्वारा प्रस्तुत दर में केन्द्रीय बिक्री कर को सम्मिलित किया जाएगा।**

22. निर्धारित समय में सामग्री की आपूर्ति नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार लिक्विडेटेड डेमेज राशि 2.5 से 10.0 प्रतिशत वसूल की जाएगी। यदि परिसमापित क्षति के साथ सुपुर्दगी की विभिन्न आदेशों में लिखित अवधि में वृद्धि की हो तो प्रदाय नहीं किये गये कार्यों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी:–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के लिए 5.0

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के लिए 7.5

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10.0

23. सफल निविदादाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा किसी भी शर्त को पूर्ण नहीं करने पर को यह अधिकार कार्यक्रम समन्वयक के.वी.के. दौसा को होगा कि कार्य हेतु दिए गए आदेशों को रद्द करते हुए निविदादाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त की जा सकेगी।

24. निविदादाता को यह लिख कर देना होगा कि उसके द्वारा अनुबन्ध अवधि में यदि इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायतशाषी संस्था आदि को सामग्री की आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा कम दरों पर भुगतान किया जाएगा। इसके लिए Fall clause प्रमाण पत्र प्रपत्र 'द' भी संलग्न करना होगा।

25. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी. प्रपत्र 'स' संलग्न है। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid security)/कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जा सकेगा।

26. केवल न्यूनतम दर ही निविदा स्वीकृति का आधार नहीं होगा। दर के साथ–साथ सामग्री की गुणवत्ता को भी आधार माना जाएगा।

27. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार** – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

28. **सत्यनिष्ठा संहिता** – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Dausa

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

29. हित का विरोध –

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :–

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ड) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है। या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ

Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Dausa

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

30. **उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण** – प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगे।

1 अपीलः– (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लघंन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को,जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन तक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र–'र') में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगााने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगााने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जोन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप–धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकरी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधी के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकरी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धन्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा–सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया–नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

Byal
Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Dausa

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

2. **अपील का प्रारूप** – (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप (प्रपत्र –'र') में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

3. **अपील फाइल करने के लिए फीस** – (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

4. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया** – (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Dausa

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा

मैने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है एंव समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त समस्त शर्तों से प्रतिबंधित रहूँगा/रहेगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

प्रपत्र –'अ'

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन कार्य के लिए निविदा दी है, उनका मैं/हम हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो मेरे/हमारे विरुद्ध कार्यालय द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जा सकेगी तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Dausa

प्रपत्र –'ब'

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन कार्यालयों में श्रमिक आपूर्ति/सेवा सप्लाई की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षो में आपूर्ति Sub-Standard होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Dausa

प्रपत्र – 'स'

Fall clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन कार्यालयों में श्रमिक आपूर्ति/सेवा सप्लाई की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रश्नगत निविदा के क्रम में अनुबन्ध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अन्य स्वायतशाषी संस्था आदि को श्रमिक आपूर्ति/सेवा सप्लाई की आपूर्ति की जाती है तो तद्नुसार ही विश्वविद्यालय से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

By

Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Dausa

प्रपत्र 'द'

वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष	ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार टर्न ओवर (रू.)
2023–24	.....
2024–25	.....
2025–26	.....
योग	

औसत टर्न ओवर प्रतिवर्ष .....

निविदादाता के हस्ताक्षर मय
मोहर एवं दिनांक

Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Dausa

प्रपत्र 'य'

FORM NO. 1 [See rule 83 of RTPP]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the..... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official Address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (S):

   (i)

   (ii)

   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

   .....

   .....

   ..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

   .....

   .....

Place ..... Date

.....

Appellant's Signature

Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Dausa